उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1142/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.231-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(290)-2023

लखनऊः दिनांकः   सितम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 158क और एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर "लेखा संकलक" को ऐसे तंत्र के रुप में एतदद्वारा अधिसूचित करती हैं, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 158क के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल द्वारा सूचना साझी की जा सकेगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

स्पष्टीकरणः- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "लेखा संकलक" से कोई ऐसी गैर-वित्तीय बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) की धारा 45जक के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पॉलीसी निदेशों के अनुसार किसी लेखा संकलक का कारबार करती है और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी- लेखा संकलक (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में यथापरिभाषित है।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव